ans/akt 11.00 1a 26022009

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 2 तेरहवीं राजस्थान विधान सभा के दूसरे सत्र का दूसरा दिवस संख्या 2

गुरुवार,
26 फरवरी, 2009

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री दीपेन्द्र सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

अनेक माननीय सदस्य: राम-राम सा। राम-राम।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़े अफसोस की बात है कि राजस्थान की विधान सभा की नियम प्रक्रियाओं, मान्यताओं, परम्पराओं सबकी धज्जियां उडाकर सरकार जिस तरह से राजस्थान के प्रतिपक्ष की, राजस्थान के आम आवाम की जो समस्याएं हैं उनको इस सदन में रखने की इजाजत नहीं दे रही है। मैं समझता हूं, राजस्थान विधान सभा का 15 साल से तो मैं गवाह हूं लगातार। आज तक भी ऐसा सत्र नहीं हुआ जिसके अंदर प्रश्नकाल 27 को लगा हो और आज ही सरकार भागना चाहती है और कोई भी डिसकस, जहां राजस्थान में कानून व्यवस्था की स्थिति तार-तार हो चुकी है, दिन दहाड़े मर्डर हो रहे हैं, हजारों लोगों के वाहन चोरी हो रहे हैं। तमाम अपराधी, पुलिस के आम जनता भयभीत है और अपराधी और चोरी करने वाले हैं उनके हौंसले बुलन्द हैं। जहां राजस्थान में यह स्थिति है, राजस्थान की आम आवाम की यह समस्याएं हैं, आज जिस तरह से कानून व्यवस्था की हालत खराब हो रही है चाहे बिजली के नाम पर वीसीआर के नाम से लूटा जा रहा है, जिस तरह से फैमेली प्लानिंग में इमरजेंसी के अंदर कोटा दिया गया उस तरह से राजस्थान की तीनो विद्युत वितरण कम्पनियों में अधिकारियों को 30-30 नाजायज वीसीआर भरने के लिए जो कोटा देकर के उनकी तनख्वाह रोकने का प्रयास किया जा रहा है, आम जनता को लुटा जा रहा है, आम जनता की जो समस्याएं हैं, प्रतिपक्ष रखना चाहता है । मुझे बड़ा अफसोस

है कि भारतीय जनता पार्टी मुखबंद करके आई है, क्योंकि कांग्रेस का शासन होता है तो भारतीय जनता पार्टी मुखबंद करके रखती है और भाजपा का राज होता है तो कांग्रेस मुखबंद करके रखती है। यह राजस्थान के आम आवाम के और इस विधान सभा के नियम और प्रक्रियाओं के खिलाफ है। इसलिए मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि सदन की जो लिस्ट आपने, आपके सचिवालय ने जो लिस्ट हमें भेजी है कि 27 तारीख को प्रश्नकाल होगा लेकिन बिजनिस एडवाइजरी कमेटी में अभी जिस तरह से सरकार ने रखा है मैं समझता हूं कि पहला सत्र होगा जिसमें एक भी प्रश्न सामने नहीं आयेगा। आम आवाम की आवाज जो प्रतिपक्ष राजस्थान की सरकार के सामने रखना चाहती है , उन समस्याओं के समाधान का प्रयास करना चाहती है वह सत्र इस तरह से रखा गया है। मैं समझता हूं राजस्थान की जनता की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। इसका खामियाजा निश्चित रूप से आने वाले समय में राजस्थान की जनता इनको निश्चित रूप से इसका सबक सिखाएगी। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि जो लिस्ट आपने भेजी है, सचिवालय ने 27 तारीख तक, उसको चलाया जाए। कानून व्यवस्था पर और अन्य समस्याओं पर, जो राजस्थान की जनता की समस्याएं हैं उन पर यहां विचार करवाया जाए, यह मेरा आपसे अनुरोध है।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य निश्चित रूप से सभी जनप्रतिनिधियों को सदन में अपनी बात कहनी चाहिए और नियम प्रक्रियाओं के तहत कायदों में उनको उस बात की इजाजत भी दी जानी चाहिये इसलिए आज के बिजनिस के संबंध में मैं मेरी ओर से, आसन की ओर से, माननीय सभी सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि मोनव्रत तोड़कर अपनी बात कहें जिससे की आपकी बात, जनता की बात रिकार्ड पर आ सके। समाचार माध्यम के माध्यम से जनता तक जा सके।

दूसरा, दांतारामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो एक बात कही क्वेश्चन के लिए, चूंकि 27 के प्रश्न की तैयारी हो चुकी । मैं आपको जानकारी दूं चूंकि जितना समय प्रश्न काल रखने के बाद चाहिये उतना समय नहीं था फिर भी उन नियमों में छूट देते हुए 6 दिन के अंदर मैंने लॉटरी निकालकर 27 तारीख के लिए प्रश्नों की तैयारी कर रखी थी। यदि सरकार की तरफ से बिजनिस आता है, बिजनिस एडवाइजरी कमेटी राय पर सदन आगे चलता है तो कहीं विधान सभा सचिवालय पर यह बात नहीं आये कि तैयारी नहीं थी इसलिए हमने हमारी तैयारी कर रखी थी कि आवश्यकता पड़े तो दिक्कत नहीं आये। अब बिजनिस एडवाइजरी कमेटी के आधार पर मेरे सामने जो बिजनिस लाया जाएगा उसी बिजनिस को आसन को संचालित करना पड़ेगा। दूसरी चीज, आज की कार्य सूची से पहले कल बिजनिस एडवाइजरी कमेटी में बहुत से उदाहरण इस बात के पेश कर दिये गये थे कि राष्ट्रपति रहे व्यक्ति के निधन के बाद, शोकाभिव्यक्ति के

बाद हाउस एडजोर्न होता है और बहुत सी बार ऐसे अवसरों पर प्रश्नकाल नहीं भी हुआ है। यह सारी चर्चा कल बिजनिस एडवाइजरी कमेटी के सामने चर्चा में लाया जा चुका है। बिजनिस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग कराने की इस सचिवालय ने प्रयास किया । कुछ माननीय सदस्य उठकर चले गये उसके बाद भी निवेदन किया गया कि किसी तरह से गतिरोध समाप्त किया जाए। विधि की विडम्बना रही कि गतिरोध शायद समाप्त नहीं हो पाया। फिर भी मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि गतिरोध को समाप्त करते हुए राजस्थान की जनता के हितों में सदन को चलाए, अपनी बात कहें।

कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन एवम उस पर विचार। श्री वीरेन्द्र बेनीवाल, सरकारी मुख्य सचेतक, कार्य सलाहकार समिति के तीसरे प्रतिवेदन का उपस्थान करेंगे।

समिति का प्रतिवेदन
कार्य सलाहकार समिति का तीसरा प्रतिवेदन

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के तीसरे प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 25 फरवरी,2009 को मध्यान्ह पूर्व 11:30 बजे माननीय अध्यक्ष के वैश्म (चैम्बर) में हुई। समिति ने निर्णय लिया कि दिनांक 26 फरवरी,2009 को सदन में अग्रेत्तर लिये जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाए:-

गुरूवार,दिनांक 26 फरवरी,2009 :

1. आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2009-10 का उपस्थापन।
2. वर्ष 2009-10 के लिये लेखानुदान (वोट ऑन अकाउण्ट) संबंधी विवरण का प्रस्तुतीकरण,
3. लेखानुदान संबंधी प्रस्ताव का पारण,
4. राजस्थान विनियोग(लेखानुदान)
(संख्या-3) विधेयक,2009 का पुर:स्थापन,उस पर विचार एवं पारण ।
5. अनुपूरक अनुदान की मांगे वर्ष 2008-9 (द्वितीय संकलन) का
उपस्थापन, मुखबन्द का प्रयोग किया जाकर मतदान एवं पारण।
6. राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2009 का पुर:स्थापन, उस पर विचार एवं पारण।

7.राजस्थान नगरपालिका विधियां (निरसन और पुन:प्रवर्तन) विधेयक,2009 पर विचार एवं पारण ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्तव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के तीसरे प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, कल बी.ए.सी. की मीटिंग में जब प्रपिक्ष के माननीय सदस्य उठकर चले गये थे तो चीफ व्हिप ने जाकर इनसे निवेदन किया कि आप वापस आये और बैठकर गतिरोध को दूर करें। एक घण्टे तक हम लोगों ने सबने, मुख्यमंत्री जी स्वंय सहित इनका इंतजार किया लेकिन एक घण्टे तक यह वापस नहीं लौटे। हम चाहते थे कि यह वापस आये और बैठकर गतिरोध दूर करें। जैसा यह चाहे वैसा हम करना भी चाहते थे अब यह आये ही नहीं तो फिर उसका तो इलाज हमारे पास क्या है, इसलिए अगर यह आते और सुझाव देते तो यह प्रतिवेदन में उस हिसाब से होता लेकिन इन्होंने......

श्री अध्यक्ष: माननीय राजस्व मंत्री जी ने जो बात कही है, कल निश्चित रूप से 1 घण्टे,5 मिनिट तक मुख्यमंत्री जी मेरे चैम्बर में विरोजे भी रहे थे। मैं फिर प्रार्थना करूंगा माननीय सभी सम्मानीय सदस्यों से, चाहे वह विपक्ष के हो चाहे पक्ष के हो, मैं निवेदन करूंगा माननीय विरोधी दल के नेता और माननीय उपनेता से भी, माननीय सदन के नेता मुख्यमंत्री जी और पार्लियामेन्ट्री अफेयर्स मिनिस्टर से भी कि राजस्थान की जनता के हितों में सभी लोग प्रयास करके गतिरोध समाप्त करके सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने की कृपा करें।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपने अनुरोध करना चाहूंगा कि राजस्व मंत्री जी तोड़ मरोड़कर रख रहे हैं क्योंकि बिजनिस एडवाइजरी कमेटी में आप चेयर कर रहे थे, संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि 12 बजे तक का ही बिजनिस नहीं है तो फिर किस बात के लिए विपक्ष वहां बैठकर, जब विपक्ष ने पूरी बात रखी कि राजस्थान की आम आवाम की यह समस्याएं हैं इन पर विचार होना चाहिये, पहली बार है कि कोई भी प्रश्नकाल रखा ही नहीं जाएगा यह पहला सत्र है। पूरे विपक्ष ने, सम्पूर्ण विपक्ष ने इस बात को रखा लेकिन संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा 12 बजे तक का ही बिजनिस नहीं है तो किस बात के लिए हम चलाये, किस बात की बहस करें। पूरी बात कही है जब सरकार की तरफ से संसदीय कार्यमंत्री ने यह कह दिया, तो मैं समझता हूं बाद में एक घण्टे तक या चार घण्टे तक, आप पूरे दिन भी रहे होंगे मैं यह नहीं कहता कि चीफ मिनिस्टर साहब और बाकी मंत्रिमण्डल के जो बिजनिस एडवाइजरी कमेटी में थे निश्चित रूप से, सबसे पहले जो बिजनिस रखा आपके सामने,

संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा कि हमारे पास तो बिजनिस 12 बजे से पहले ही खतम हो जाएगा, कोई चर्चा नहीं होगी, कोई विचार नहीं होगा। उनको भी...(व्यवधान)

डॉ. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय.......

श्री अध्यक्षः आप बैठिये, प्लीज आप बैठिये।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): निश्चित रूप से हो सकता है, मेरा तो आपसे निवेदन है....

श्री अध्यक्षः मैं आपसे निवेदन करूं, मैं आपसे निवेदन करूं....

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): मेरा तो आपसे निवेदन है, सरकार से नहीं आपसे निवेदन है कि यह परम्परा बहुत गलत होगी कि सम्पूर्ण विपक्ष जनता की तरफ से मुखबंद करके बैठे और सदन चलाये।

दुर्गा/त्रिपाठी 260209 1110 **1b**

श्री अध्यक्षः मैं आपसे निवेदन करुं, जब यह चर्चा आई।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): अगर सदन के नेता की यह इच्छा है कि सब बंद रखें और राजस्थान की जनता की आवाज सदन के सामने नहीं आये तो मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री अध्यक्षः माननीय अमरारामजी, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं।

जब यह बात आई थी कि सदन ज्यादा देर चले, लोगों को बोलने का अवसर मिले, सरकार के बिजनस के आधार पर यह सदन नहीं चलाने की स्थिति न हो। मैंने अपनी ओर से, आपको याद हो तो यह भी कहा था कि रात को 12 बजे तक सदन में बैठकर चलाने को मैं तैयार हूं। तब यह बात आई थी कि रात को 12 बजे तक का बिजनस नहीं है। मैं तो इस बात के लिये तैयार हूं आज भी।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): नहीं, नहीं, आप चला सकते हैं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्षः बिलकुल, मैंने कहा है। मैंने कहा है। मैंने कहा है कि रात को 12 बजे तक सदन चलाइये।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): सदन का बिजनस नहीं हो लेकिन जनता का बिजनस तो है।

श्री अध्यक्षः मैंने कहा है। गलत नहीं कहूंगा मैं। कोई बात मैं गलत नहीं कहूंगा।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): अध्यक्ष महोदय, सदन का बिजनस नहीं हो, लेकिन जनता का बिजनस तो है। जनता की, लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति है।

श्री अध्यक्ष: मैं गलत नहीं कहूंगा। मैंने कहा है कि रात को 12 बजे तक चलाइये, मैं गलत नहीं कहूंगा।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): राजस्थान की आम-अवाम की समस्याएं हैं उसके लिये तो चलाया जा सकता है। वह केवल सरकार के बिजनस के लिये ही हाउस नहीं होता है, जनता की समस्याओं के लिये भी होता है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के तीसरे प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रदान करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गई।

श्री अध्यक्ष: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि, प्रतिवेदन।

श्री अशोक गहलोत, मुख्य मंत्री भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिये प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां एवं वाणिज्यिक) सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, यह बड़ी अजीब सी बात है कि आज प्रतिपक्ष के नेताओं ने और प्रतिपक्ष के सदस्यों ने इस प्रकार का व्यवहार सदन में किया है। कल की जो घटना थी, बिजनस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में मेरे द्वारा यह जरुर कहा गया था कि सरकार के पास इतना विधायी कार्य नहीं है और मैं यह समझता हूं कि वह विधायी कार्य लंच के पहले-पहले, 12 बजे तक कभी नहीं कहा था।

श्री अध्यक्ष: मैंने यह कहा था कि रात को 12 बजे तक मैं चलाने को तैयार हूं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): आपने यह कहा था 12 बजे तक, तो उसके लिये मैंने भी यही कहा था कि नगर पालिका बिल है, नगर पालिका पर 2 घण्टे, 4 घण्टे, 5 घण्टे, जितनी बहस करना चाहते हैं, सरकार करने के लिये तैयार है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): मंत्रीजी, वहां टेप-रिकार्ड तो है नहीं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): मेरी बात सुनिये।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): बाकी आप कहो जो सही हो। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): देखिये, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। देखिये मैंने हस्तक्षेप नहीं किया।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): आपने सबसे पहले, माननीय अध्यक्षजी ने...।

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): मेहरबानी करके मुझे सुन लीजिये।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): अध्यक्षजी ने कहा कि बिजनस रखिये संसदीय कार्य मंत्रीजी। जब उन्होंने कहा, आपने कहा हमारे पास तो 12 बजे से पहले ही का बिजनस है। (व्यवधान)

श्री रघु शर्मा (केकड़ी): देखिये, आप तथ्यों को, अमरारामजी। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): माननीय सदस्य, जरा बैठकर सुन लें। मैंने भी सुना है आपको। मैंने भी सुना है।

श्री रघु शर्मा (केकड़ी): अमरारामजी, बिजनस एडवाइजरी कमेटी में..।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बैठ जाएं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): उस वक्त भी मैंने यह निवेदन किया था। मैंने कहा जहां तक वोट ऑन अकाउण्ट का सवाल है, वह उसी रोज पास हमेशा से होता आया है। मैंने 15 नजीरें वहां पर बताने की कोशिश की। लेकिन प्रतिपक्ष के सदस्यों ने उस बात पर ध्यान नहीं दिया। मेरे पास आज भी रिकार्ड है। चाहे सन् 90 को ले लें, चाहे 91 को ले लें, चाहे 94 को ले लें, चाहे 95 को ले लें, चाहे 96 को ले लें, चाहे 1997 को ले लें, चाहे 98 को ले लें, 2002 को ले लें, 2003 को ले लें। और 2004 के बाद तो ये लोग मौजूद थे। 2004 को ले लें, 2005 को ले लें, 2006 को ले लें, 2007 को ले लें और 2008 को ले लें। जिस रोज वोट ऑन अकाउण्ट पेश होता है, उस रोज वोट ऑन अकाउण्ट पास होता है। रहा सप्लीमेंट्री डिमाण्ड्स का सवाल, सप्लीमेंट्री डिमाण्ड्स हमेशा से मुखबंद करके पास होती हैं। एप्रोप्रिएशन बिल भी उसी रोज पास होता है। तो बिजनस है ही कहां। यह सब कुछ काम दो घण्टे का काम है, अध्यक्ष महोदय, और दो घण्टे बाद में, जैसा आपने निवेदन किया था कि 12 बजे रात तक आप हाउस चला लें। मैंने भी उस वक्त यह कहा था, मैंने कहा, नगर पालिका का बिल बाकी रहता है, नगर पालिका के बिल पर आप 3 घण्टे, 4 घण्टे, 5 घण्टे, जितनी बहस करना चाहते हैं, कर लीजिये। लेकिन यह बहस इसलिये नहीं करना चाहते क्योंकि इनके पास कुछ है नहीं।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

अध्यक्ष महोदय, जब किसी आदमी के पास मुद्दा नहीं होता है तो वह दो ही काम करता है, या तो वह पलायन करता है या अप्रासंगिक बातें करता है। लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं था। यह संस्कृति और परम्परा की बात करने वाले लोग हैं। अध्यक्ष महोदय, हमने बुजुर्गों को नमन करना सीखा है। इन्होंने खण्डहर बताया है। यह खण्डहर बताने वाले लोग हैं। इसलिये यह जो गतिरोध पैदा कर रहे हैं, यह सब फेब्रिकेटेड गतिरोध है। यह इनकी वैल-प्लाण्ड पॉलिसी है कि सरकार को किसी प्रकार से काम करने से रोका जाए। सरकार कटिबद्ध है जनता की सेवा करने के लिये और जनता की समस्याओं को निपटाने के लिये और जनता को पूरा रिलीफ देने के लिये। लेकिन यह ठान कर आये हैं

इस बात का कि हमें इस सदन में कतई इस सरकार का सहयोग नहीं करना है। यह दुखदायी बात है। मैं भी यह चाहता हूं, हम डेढ घण्टे तक कल आपके चेम्बर में इंतजार करते रहे। इन्होंने यह कहलवाया कि अभी हम आते हैं, अभी हम आते हैं, अभी हम आते हैं। लेकिन ये आये नहीं। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि उठकर जाने की बात क्या थी। जब चर्चा के लिये हम सब लोग बैठे हुए थे तो आपको उठ करके, लेकिन यह आदत बनी हुई है। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ। जब लास्ट सेशन के टाइम पर भी आप वाक-आउट करके चल गये और इस बार भी आप वाक-आउट करके चले गये। आपने यह सोच करके यह रणनीति बनाई कि किस प्रकार से इस सरकार को कठघरे में खड़ा किया जाए। लेकिन यह सरकार कठघरे में खड़ी होने वाली नहीं है। सरकार को जनता के द्वारा भेजा गया है। और सरकार हर सूरत में जनता को रिलीफ देने के लिये और जनता की समस्याओं को निपटाने के लिये कटिबद्ध है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि सहयोग कीजिये। मेहरबानी करके सहयोग कीजिये और विधायी कार्य को सम्पादित होने दीजिये, जयहिन्द।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे निवेदन करना है।

श्री अध्यक्ष: हो गया, हो गया, प्लीज।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): नहीं, अध्यक्ष महोदय, आप जो कह रहे हैं, मैं समझता हूं, बिलकुल मैं नहीं चाहता था कि बिजनस एडवाइजरी कमेटी की बातों को यहां रखा जाए। आपने यह कहा कि हमारी कांग्रेस की मीटिंग है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): रखा भी आपने ही, चालू भी आपने ही किया।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): कांग्रेस की मीटिंग है, कांग्रेस की मीटिंग तो सरकार के लिये ज्यादा महत्वपूर्ण है और राजस्थान की जनता की आवाज सुनना इनके लिये महत्वपूर्ण नहीं है। मैं समझता हूं, इन्होंने वहां यह कहा और कहा 12 बजे तक ही चलेगा। मैं समझता हूं सरकार का बिजनस हो सकता है, एक ही विधेयक हो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया शांति बनाये रखें। माननीय मुख्य मंत्रीजी।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): सरकार अगर नहीं करना चाहती है तो इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं हो सकती है।

श्री रघु शर्मा (केकड़ी): मिसलीड कर रहे हो आप।

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): प्रक्रियाओं का हनन करने का, परम्पराओं की हनन करने की सबसे बड़ी दोषी यह सरकार होगी और निश्चित रूप से राजस्थान की जनता इस बात के लिये सज़ा देगी।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन

भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के दो प्रतिवेदन वर्ष 2008

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार निम्न दो प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं:-

(1) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) एवं

(2) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन (वाणिज्यिक)

श्री अध्यक्ष: आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2009-2010 का उप स्थापन। श्री अशोक गहलोत, मुख्य मंत्री, राजस्थान राज्य के आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2009-2010 का उपस्थापन करेंगे और उसे सदन की मेज पर रखेंगे।

Vps-usc-26.02.2009-11.20-1c

वार्षिक वित्तीय विवरण (आय व्ययक अनुमान) वर्ष 2009-2010 का उपस्थापन

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं वर्ष 2008-09 के संशोधित अनुमान तथा वर्ष 2009-10 के लिए राजस्थान राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत कर रहा हूं।

2. राज्य में कुछ समय पूर्व गत वर्ष के अन्त में ही विधान सभा चुनाव सम्पन्न हुए हैं तथा राज्य की जनता ने शासन में परिवर्तन के लिये अपना मत दिया है। संवेदनशील, पारदर्शी एवं जवाबदेह सुशासन मिलने के विश्वास पर जनता ने हमें पुन: राज्य की बागडोर सौंपी है। इस प्रकार राज्य की जनता की पुन: सेवा करने का हमारी सरकार को अवसर प्राप्त हुआ है जो हमारे लिये गौरव की बात है। मैं आशा करता हूं कि अभी प्रस्तुत किये जा रहे लेखानुदान (vote on Account) एवं आगामी महीनों में प्रस्तुत किये जाने वाले परिवर्तित बजट (Modified Budget) के माध्यम से हम राज्य की जनता की आशाओं एवं आकांक्षाओं पर खरे उतरेंगे।

3. आगामी दिनों में लोक सभा के चुनाव होने हैं जिसमें हम केन्द्र की हमारी सरकार के लिए जनता का विश्वास अर्जित करेंगे। चुनाव के समय हमको राज्य के विकास की दिशा एवं आगामी वर्षों के लिए प्रमुख प्राथमिकताओं का निर्धारण करने के लिये जनता के विचार जानने का अवसर प्राप्त होगा। राज्य की जनता से मिलने वाले सुझावों को ध्यान में रखते हुए हम परिवर्तित बजट प्रस्तुत करते समय नये कार्यक्रम एवं अन्य नवाचार लागू करने पर गम्भीरता से विचार करेंगे।

4. बजट अनुमानों के अन्तर्गत वर्ष 2008-09 के लिए 01 हजार 183 करोड़ 14 लाख रुपये का राजस्व अधिशेष अनुमानित किया गया था, परन्तु राज्य कर्मचारियों हेतु छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के परिणामस्वरूप राज्य सरकार पर पड़ने वाले अतिरिक्त वित्तीय भार का समुचित प्रावधान इन अनुमानों में नहीं रखा गया था। संशोधित अनुमानों में इस हेतु आवश्यक प्रावधान करने के परिणामस्वरूप वर्ष 2008-09 में राजस्व खाते में 283 करोड़ 2 लाख रुपये का घाटा अनुमानित है।

5. योजना आयोग द्वारा चालू वर्ष की योजना का आकार 14 हजार करोड़ रुपये निर्धारित किया गया था, जो संशोधित अनुमानों से 14 हजार 924 करोड़ 53 लाख रुपये होना सम्भावित है।

6. वर्तमान में समूचा विश्व आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। हमारे देश पर भी इसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। राज्य के स्वयं के कर राजस्व एवं केन्द्रीय करों में राज्य को मिलने वाले हिस्से की वृद्धि दर में कमी होने के कारण वर्ष 2009-10 के बजट अनुमानों में राजस्व खाते में 913 करोड़ 20 लाख रुपये का घाटा सम्भावित है। तथापि हमारी सरकार ने आगामी वर्ष का योजना व्यय 17 हजार 300 करोड़ रुपये से भी अधिक प्रस्तावित किया है, जो इस बात का द्योतक है कि हम राज्य के विकास के लिए कोई कसर नहीं रखेंगे। उल्लेखनीय है कि अब तक की राज्य की यह सबसे बड़ी वार्षिक योजना है। योजना के अनुमोदन के समय योजना आयोग के सम्मुख हमने जो प्राथमिकताएं प्रस्तुत की थीं उनकी योजना आयोग द्वारा सराहना की गई है तथा आयोग ने हमारी योजना के आकार में चालू वर्ष की तुलना में 23.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूर किया है। मैं माननीय सदन के माध्यम से राज्य की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार किसी भी प्रकार की चुनौती का मुकाबला करने में पीछे नहीं रहेगी एवं जनता की आकांक्षाओं को पूरा करेगी।

7. बारहवें वित्त आयोग की सिफ़ारिशों को दृष्टिगत रखते हुए केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों हेतु ऋण राहत योजना लागू की गई थी। इस योजना के दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत राज्यों को Fiscal Responsibility and Budget Management Act (FRBM Act) लागू करते हुए राजस्व घाटे को वर्ष 2008-09 में समाप्त करना था तथा राजकोषीय

घाटे को राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत तक लाना था । FRBM Act लागू करने एवं राजकोषीय घाटे तथा राजस्व घाटे में अपेक्षित कमी करने के परिणामस्वरूप बकाया केन्द्रीय ऋणों के समेकन के साथ-साथ प्रत्येक वर्ष राज्य को 308 करोड़ रुपये की ऋण माफी की सुविधा उपलब्ध हो रही है। वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए वार्षिक योजना के वित्त पोषण हेतु संसाधनों (Resources) की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने चालू वर्ष में राजस्व घाटे को समाप्त करने की शर्त में शिथिलता प्रदान की है एवं राजकोषीय घाटे को 3 प्रतिशत के स्थान पर 3.5 प्रतिशत की सीमा तक रखने की अनुमति दी है। योजना आयोग ने आगामी वर्ष की योजना के वित्त पोषण हेतु सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3.5 प्रतिशत तक राज्य के राजकोषीय घाटे को अनुमत करते हुए संसाधनों (Resources) का आकलन किया है। तदनुसार हमने केन्द्र सरकार से FRBM Act के लक्ष्यों में आगामी वर्ष के लिए भी शिथिलता देने हेतु निवेदन किया है। अतः केन्द्र सरकार से इस संबंध में निर्णय प्राप्त होने पर FRBM Act के प्रावधानों में आवश्यक संशोधन हम परिवर्तित बजट के साथ प्रस्तावित करेंगे।

8. FRBM Act की धारा 5 के अन्तर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वार्षिक बजट के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले, मध्यमकालिक राजवित्तीय नीति विवरण और राजवित्तीय नीति युक्ति विवरण, सदन में प्रस्तुत किये जा रहे हैं।

9. वर्ष 2009-10 का वार्षिक वित्तीय विवरण सभा पटल पर रखा जा रहा है और अन्य बजट पत्रों के साथ अनुदानों की मांगें भी प्रस्तुत की जा रही हैं। चूंकि लोक सभा चुनावों के कारण बजट प्रस्तावों पर विधान सभा में चर्चा कराकर 31 मार्च, 2009 से पूर्व वार्षिक बजट पारित कराया जाना सम्भव नहीं है, अतः हम वित्तीय वर्ष 2009-10 के पहले चार महीनों के लिए, यथा 31 जुलाई, 2009 तक व्यय हेतु लेखानुदान (Vote on Account) का प्रस्ताव कर रहे हैं। इस लेखानुदान (Vote on Account) में मांग संख्या 7- निर्वाचन, मांग संख्या 27- पेयजल तथा मांग संख्या 34- प्राकृतिक आपदाओं से राहत के अन्तर्गत पूरे वर्ष के लिए अपेक्षित राशि की मांग की गई है क्योंकि इन मदों में होने वाला व्यय (Expenditure) सामयिक है और इन्हीं महीनों में अधिक व्यय होने की सम्भावना है तथा इस व्यय (Expenditure) को स्थगित नहीं किया जा सकता है। लेखानुदान (Vote on Account) की अवधि यथा 31 जुलाई, 2009 के पूर्व ही सदन के समक्ष परिवर्तित बजट अनुमान व प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिए जायेंगे।

10. मैं लेखानुदान (Vote on Account) प्रस्तावों को, स्वीकृत करने के अनुरोध के साथ, माननीय सदन के अनुमोदनार्थ (Approval) हेतु प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री अशोक गहलोत, मुख्य मंत्री राजस्थान राज्य के आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2009-2010 का उपस्थापन करेंगे और उसे सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान राज्य के आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2009-2010 का उपस्थापन करता हूं और इसे सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री अशोक गहलोत, मुख्य मंत्री वर्ष 2009-2010 के लिए लेखानुदान (Vote on Account) संबंधी विवरण भी प्रस्तुत करेंगे।

लेखानुदान संबंधी विवरण वर्ष 2009-10

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वर्ष 2009-2010 के लिए लेखानुदान (Vote on Account) संबंधी विवरण प्रस्तुत करता हूं तथा इसे सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री अशोक गहलोत, मुख्य मंत्री लेखानुदान संबंधी प्रस्ताव मतदान हेतु प्रस्तुत करेंगे।

लेखानुदान संबंधी प्रस्ताव वर्ष 2009-10

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लेखानुदान वर्ष 2009-2010 के विवरण में मांग संख्या 1 से 51 के सम्मुख अंकित लेखानुदान (Vote on Account) की राशियों से अनधिक जिनका योग रुपये 1,74,78,47,05,000/- (सत्रह हजार चार सौ अठहत्तर करोड़ सैंतालीस लाख पाँच हजार) मात्र है, व्यय के लिए अनुदत्त कर दी जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लेखानुदान 2009-2010 के विवरण में मांग संख्या 1 से 51 के सम्मुख अंकित लेखानुदान की राशियों से अनधिक जिनका योग रुपये 1,74,78,47,05,000/- (सत्रह हजार चार सौ अठहत्तर करोड़ सैंतालीस लाख पाँच हजार) मात्र है, व्यय के लिए प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन
राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-3) विधेयक, 2009

श्री अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-3) विधेयक, 2009 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-3) विधेयक, 2009 करे पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-3) विधेयक, 2009 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी। प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-3) विधेयक, 2009 को पुर:स्थापित करता हूं।

विधेयक पर विचार
राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-3) विधेयक, 2009

श्री अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-3) विधेयक, 2009 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-3) विधेयक, 2009 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: यदि कोई माननीय सदस्य बोलना चाहें, तो उन्हें अनुमति दी जाएगी। यदि कोई माननीय सदस्य इस पर बोलना चाहें, तो अनुमति दी जाएगी। यदि कोई माननीय सदस्य बोलेंगे, तो प्रभारी मंत्री उत्तर भी देंगे।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-3) विधेयक, 2009 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

विधेयक का पारण

राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-3) विधेयक, 2009

श्री अशोक गहलोत प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-3) विधेयक, 2009 को पारित किया जाए।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-3) विधेयक, 2009 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: यदि कोई माननीय सदस्य बोलना चाहें, तो मैं उन्हें समय देने को तैयार हूं।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी अनुरोध किया और आपने भी कहा। मैं समझता हूं कि राजस्थान की सरकार नहीं चाहती कि राजस्थान की जनता की आवाज सुने इसलिए मैं मेरी ओर से और मेरे दल की ओर से इस सत्र का बहिष्कार कर रहा हूं।

(मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष: इस सत्र का कब तक? इस सत्र का कब तक? इस सत्र का कब तक का है आपका?

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): इनके पास बोलने को नहीं है, जाए नहीं तो क्या करें?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-3) विधेयक, 2009 को विचारार्थ लिया जाए। जो पक्ष में हो, हां कहें, जो विपक्ष में हो, ना कहें, हां पक्ष, यह थोड़े ही, यह है, ले लिया इसको। चलिये।

Spp/akt/26.2.2009/11.30/1d

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-3) विधेयक, 2009 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (लेखानुदान)(संख्या-3)विधेयक, 2009 को पारित किया गया।

वित्तीय कार्य

अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2008-09 (द्वितीय संकलन) का पुर:स्थापन, मतदान एवं पारण

श्री अशोक गहलोत, मुख्य मंत्री, वर्ष 2008-09 के लिये राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगें (द्वितीय संकलन) का उपस्थापन करेंगे।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वर्ष 2008-09 के लिये राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांग (द्वितीय संकलन) का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री अशोक गहलोत, मुख्य मंत्री, अनुपूरक अनुदान की मांग वर्ष 2008-09 एक साथ मतदान किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2008-09 के द्वितीय संकलन की अनुसूची में अनुपूरक अनुदान मी मांगों के संबंध में दिये गये विवरण के अनुसार 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 39,45,86,13,000/- (अक्षरे उनतालीस अरब पैंतालीस करोड़ छियासी लाख तेरह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2008-09 के द्वितीय संकलन की अनुसूची में अनुपूरक अनुदान की मांगों के संबंध में दिये गये विवरण के अनुसार 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 39,45,86,13,000/- (अक्षरे उनतालीस अरब पैंतालीस करोड़ छियासी लाख तेरह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

अनुपूरक अनुदान की मांगें (द्वितीय संकलन) वर्ष 2008-09 स्वीकार की गयीं।

विधायी कार्य

राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-2) विधेयक, 2009 का पुरःस्थापन, विचार एवं पारण

श्री अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-2) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-2) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-2) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी। प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-2) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2009 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2009 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: यदि कोई माननीय सदस्य बोलना चाहे। प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2009 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

श्री अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2009 को पारित किया जाए।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2009 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: यदि कोई माननीय सदस्य बोलना चाहे। प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2009 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2009 पारित किया गया।

राजस्थान नगरपालिका विधियां (निरसन और पुन:प्रवर्तन)विधेयक, 2009

राजस्थान नगरपालिका विधियां (निरसन और पुन:प्रवर्तन)विधेयक, 2009, श्री राजेन्द्र राठौड़, श्री राधेश्याम गंगानगर, डॉ0 दिगम्बर सिंह, श्री ज्ञानदेव आहूजा, श्री रोहिताश्व कुमार, डॉ0 जसवन्त सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा राजस्थान नगरपालिका विधियां (निरसन और पुन:प्रवर्तन)विधेयक, 2009 (2009 का अध्यादेश संख्या-1) परिनियत संकल्प प्रस्तुत करेंगे। श्री राजेन्द्र राठौड (अनुपस्थित), श्री राधेश्याम गंगानगर (अनुपस्थित), डॉ0 दिगम्बर सिंह(अनुपस्थित), श्री ज्ञानदेव आहूजा (अनुपस्थित), श्री रोहिताश्व कुमार (अनुपस्थित), डॉ0 जसवन्त यादव (अनुपस्थित) । श्री शांति कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान नगरपालिका विधियां (निरसन और पुन: प्रवर्तन) विधेयक, 2009 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगरपालिका विधियां (निरसन और पुन:प्रवर्तन) विधेयक, 2009 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती अनिता भदेल (अनुपस्थित), श्री राजेन्द्र राठौड़ (अनुपस्थित)। प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका विधियां(निरसन और पुन: प्रवर्तन) विधेयक, 2009 को विचारार्थ लिया जाए।

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड-2 से 4, कोई संशोधन नहीं। प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से 4 स्वीकार किए जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड – 2 से 4 स्वीकार किए गए।

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन, सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियमन, सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री शांति कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान नगरपालिका

विधियां (निरसन और पुनः प्रवर्तन) विधेयक, 2009 को पारित किया जाए। जो सदस्य बोलना चाहे, उन्हें अनुमति दी जाएगी।

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगरपालिका विधियां (निरसन और पुनः प्रवर्तन) विधेयक, 2009 को पारित किया जाए?

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका विधियां (निरसन और पुनः प्रवर्तन) विधेयक, 2009 को पारित किया जाए।

(स्वीकृत)

राजस्थान नगरपालिका विधियां (निरसन और पुनः प्रवर्तन) विधेयक, 2009 को पारित किया गया।

(तदनन्तर सदन की बैठक 11.40 बजे अनिश्चत काल के लिए समाप्त हुई)

<u>राष्ट्र गान</u>

जन गण मन अधिनायक जय हे
भारत भाग्य विधाता
पंजाब सिन्धु गुजरात मराठा
द्राविड़ उत्कल बंगा
विन्ध्य हिमाचल यमुना गंगा
उच्छल जलधि तरंगा
तव शुभ नामे जागे
तव शुभ आशिष मांगे
गाहे तव जय गाथा
जन गण मंगलदायक जय हे
भारत भाग्य विधाता
जय हे जय हे जय हे
जय जय जय जय हे।